तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टीए/2023/ 4708/ सीकर मोहम्मद इरफान बनाम शोकत अली निगरानी / टीए/2023/ 4711/ सीकर मोहम्मद इरफान बनाम शोकत अली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
14-9-2023	**एकल–पीठ** **डॉ. राकेश कुमार शर्मा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री समीर अहमद, अभिभाषक प्रार्थी श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत् दोनों निगरानियां प्रार्थना अंतर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के आदेश दिनांक 25–8–2023 पेश किया गया है। चूंकि दोनों निगरानियों में कानूनी विवाद बिन्दु एवं पक्षकारान समान है, अतः हमारे द्वारा दोनो निगरानियों को निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश के प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष विरूद्ध अप्रार्थीगण के बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इंद्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। उपरोक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 4 व 6 सिराज व इब्राहिम की मृत्यु हो गई जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश दिनांक 30–6–2023 को पारित किये गये एवं उसके पश्चात उनको नोटिस जारी किये गये जिसमें यह आया कि प्रतिवादी संख्या 4 के पुत्र आजम पुत्र सिराज खां व मोहसीन पुत्र सिराज खां, अकरम पुत्र सिराज भारत से बाहर विदेश में निवास कर रहे है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 इब्राहिम की पुत्री कहकसा पुत्र इब्राहिम पत्नि असगर चौहान भी विदेश में रहते है इसलिए वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 5 नियम 25 का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त व्यक्तियों की तामील जरिये डाक अथवा एम्बेसी से करवाई जावे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 5 नियम 25 सीपीसी पर अपने आदेश दिनांक 25–8–2023 द्वारा खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की। प्रार्थी की बहस निगरानी के एडमिशन पर सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि प्रतिवादी संख्या 4	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टीए/2023/ 4708/ सीकर मोहम्मद इरफान बनाम शोकत अली निगरानी / टीए/2023/ 4711/ सीकर मोहम्मद इरफान बनाम शोकत अली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	के पुत्र आजम, मोहसीन, अकरम पुत्रान सिराज व प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्री कहकसा यू0ए0ई0 दुबई ओर शाहजहां में निवास कर रहे है इसलिए बिना उनकी पूर्ण जानकारी के नोटिस तामील करवाए बिना किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह मान कर कि उनके वकालतनामे प्रस्तुत कर दिए गए है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सरासर गलत है। प्रतिवादी संख्या 4 के पुत्र आजम, मोहसीन, अकरम पुत्रान सिराज व प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्री कहकसा लगभग एक वर्ष या उससे भी अधिक समय से भारत देश से बाहर निवास कर रहे है उनको बिना सूचना दिए किसी आधार पर वकालतनाम प्रस्तुत कर दिया गया जबकि वह व्यक्ति भारत में आए ही नहीं है इसलिए कानूनन ऐसे व्यक्तियों की तामील जाप्ता दीवानी के आदेश 5 नियम 25 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही करवाई जानी चाहिए। इसके बाबत प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से प्रार्थना पत्र को खरिज किये जाने का आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार फरमायी जावे। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियमानुसार खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत निगरानी के माध्यम से निगरानीकर्ता की मुख्य आपत्ति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदश 5 नियम 25 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि वादपत्र में स्थापित प्रतिवादी संख्या 6 इब्राहिम की पुत्री कहकसा पत्नि असगर चौहान विदेश में रहते है। लिहाजा उनकी तामील जरिये एम्बेसी करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 6 की पुत्री कहकसा (6/4) जरिये अधिवक्ता उपस्थित आ चुके है। अतः पृथक से तलबी की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध न्यायालय का अभिमत है कि किसी भी प्रकरण में पक्षकार स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता अर्थात असालतन व वकालतन उपस्थित आ सकते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टीए/2023/ 4708/ सीकर मोहम्मद इरफान बनाम शोकत अली निगरानी / टीए/2023/ 4711/ सीकर मोहम्मद इरफान बनाम शोकत अली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रकरण में चूंकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 6 की पुत्री कहकसा (6/4) जरिय अधिवक्ता उपस्थित आ चुके है तथा सम्बन्धित अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 की पुत्री कहकसा की सहमति स्वरूप व वकालतनामा पर हस्ताक्षरित होने के उपरान्त आये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वादपत्र पर पुनः उसी पक्षकार की तलबी की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। निगरानीकर्ता की ओर से यह आशंका बावजूद एल0आर की ओर से अभिभाषक उपस्थित होने के बावजूद यह जाहिर करना कि अप्रार्थी फर्जकारी कर सकते है। महज आशंका मात्र है इसका कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 5 नियम 25 सीपीसी खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से हस्तगत प्रार्थी की दोनों निगरानी ग्राहयता के स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)** **सदस्य**	